भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 392
(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में अनियमितताएं

392. श्री शेर सिंह घुबाया:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर , 2024 में गुरदासपुर, पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यों में कुछ अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोई जांच दल भेजा है और यदि हां , तो जांच दल द्वारा पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मनरेगा के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक और कलानौर तहसीलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) से 10 सितंबर 2024 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में महात्मा गांधी नरेगा निधि के दुरुपयोग और दो तहसीलों की कुछ पंचायतों में योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया था। आगे जांच के लिए गुरदासपुर जिले में एक केन्द्रीय जांच दल भेजने का निर्णय लिया गया है।

(ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023-24 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
पंजाब राज्य को जारी केंद्रीय निधि (करोड़ रुपये में)	1257.59	1182.13	1166.55

******